

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

123

नोटिस

क्रमांक

बुक नं.

03

(देखें : विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 68 एवं 164 : भारतीय तार अधिनियम, 1885 का भाग - III, के साथ पठित और विद्युत नियम, 1956)

क्रमांक : NOTICE NO.: NR1/PMSTL/

दिनांक : 19.05.2022

प्रति,

लोकेशन नंबर : D/C 1/0 & LI (2/0)

संचरण पथ का नाम : 765/400 KV मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लाईन

प्रिय महोदय / महोदया,

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.12.2003 जो कि भारतीय राजपत्र में प्रकाशित है, द्वारा केन्द्र सरकार ने पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) को स्थापित या अनुरक्षित विद्युत लाईन अथवा विद्युत के संचरण के लिये स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाईन अथवा दूरभाष या तार द्वारा संसूचना के प्रयोजनार्थ, जो कार्यों के उचित समन्वयन हेतु आवश्यक हो, के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग - III के अंतर्गत "तार प्राधिकारी" हेतु निहित समस्त शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया है।

एतद् द्वारा नोटिस दी जाती है कि ऊपर चिन्हांकित (✓) संचरण लाईन आपकी निम्नलिखित संपत्ति से गुजरेगी। उक्त संचरण लाईन के निर्माण / अनुरक्षण के दौरान हालाकि इस बात की अत्यंत सावधानी बरती जायेगी, कि वृक्षों और / या फसलों को यथा संभव कम से कम क्षति पहुंचे फिर भी कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार गिराये गये / काटे गये वृक्षों / फसलों को आपको सौंप दिया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। गिराये गये वृक्षों एवं वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त फसलों के उत्पाद हेतु आपको एकिक्यूटिव मजिस्ट्रेट / राजस्व विभाग या राजस्व विभाग द्वारा निर्णित किसी अन्य क्षम अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

* मुआवजे के बारे में जानकारी दी गई है।

- तहसील का नाम हापु
- ग्राम का नाम अडेवा
- खसरा संख्या 41 & 43
- काटे जाने वाले वृक्षों या फसलों का ब्योरा खमिश्त रचना
- स्वामी का नाम अडेवा, हापु
- पता अडेवा, हापु

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड के लिए और इसकी ओर से
हस्ताक्षर : आशिष कुमार
नाम : कनिष्ठ अभियंता
पदनाम : हापु
स्थान : हापु
दिनांक : 19.05.2022

नोटिस प्राप्त की जाती है।
(स्वामी के हस्ताक्षर)
नाम अडेवा
दिनांक 19.05.2022
स्थान हापु

प्रतिलिपी : तहसीलदार एवं एकिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसील..... जिला..... (गहा.)
आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित स्वामी के रिकार्ड से स्वामित्व का सत्यापन करते हुये गिराये गये, काटे गये वृक्षों / फसलों को हुई हानि का मूल्यांकन करने का कष्ट करें।